फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

20-07-2013

आवेदक **स्वामी विवेकानन्द सिंह,** पिता–श्री केशव सिंह, सा0–फ्लैट सं0–108, जगदेवन प्लाजा, लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–444/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–19.07.2013 निर्धारित की गई। अपरिहार्य कारणों से सुनवाई की पहली तिथि स्थगित करते हुए दूसरी तिथि–20.07.2013 निर्धारित की गई।

दूसरी निर्धारित तिथि दिनांक–20.07.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे भारतीय रेल में कैटरिंग का कार्य करते हैं। व्यवसाय से संबंधित पैसे को बैंक में जमा करने के क्रम में बदमाशों/अपराधियों का भय बना रहता है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक–209/गो0, दिनांक–28.02.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, कंकड़बाग के माध्यम से जाँचोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, कंकड़बाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक व्यवसाय करते हैं। व्यवसाय से संबंधित पैसे को बैंक में जमा करने के क्रम में बदमाशों/अपराधियों का भय बना रहता है। तदोपरान्त आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन को अग्रसारित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा

उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त स्वामी विवेकानन्द सिंह, पिता–श्री केशव सिंह, सा0–फ्लैट सं0–108, जगदेवन प्लाजा, लोहिया नगर, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

स्वामी विवेकानन्द सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।